न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 125/2020
आरसीएमएस नं. 2020/00125

सफीया पुत्री खैरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. मुंशी खां
2. यासीन खां
3. मोहम्मद अली
4. हनीफ खां
5. श्योकती अली

पि0 सदीक खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

6. जैतुन पुत्री सदीक खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सकीना पुत्री इब्राहिम जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. अल्लादीन पुत्र कासम दीन –फौत

8/1 मोहम्मद अली
8/2 श्योकत अली
8/3 हनीफ खां
8/4 यूनुस
8/5 मुश्ताक

पि0 अल्लादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदार पुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

8/6 रूबीना पुत्री कुरेसदा पुत्री अल्ला दीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

8/7 फारमा पुत्री अल्लादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

9. इल्मदीन पुत्र कासमदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

10. रोशन खां
11. महबूब खां
12. सतार खां
13. लियाकत खां
14. मुबारिक खां

पि0 साहबदीन पुत्र कासमदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

15. हनीफ खां पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. मुक्तारा बेगम पुत्री नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. नजीर दीन पुत्र रहमत खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।–फौत

17/1 मुन्नी पत्नी नजीरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

17/2 सलीम
17/3 फिरोज
17/4 समीम

पि0 नजीरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

18. जबारदीन पुत्र रहमत खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
19. चिरागदीन पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
20. सदीक पुत्र नूरदीप जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
21. हलीमा पत्नी बली मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

22. नसरीना
23. रसीदा
24. शहनाज
25. रूकसाना
26. सलमा
27. परवीना
28. नसीम

पुत्रियान व बली मेाहम्मद पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

29. सदाम पुत्र बली मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
30. बलकीशा पत्नी स्व0 हाकमदीन पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

31. सलमा
32. शमशेर
33. हुसैन
34. सलीम

} पि0 हाकमदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

35. अली मोहम्मद
36. अमीन खां
37. रिजाक खां
38. हाकम अली
39. मजीद खां
40. मकबूल

} पि0 मुस्तकीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

41. आसमा पुत्री मुश्तकीम जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
42. जुले खां पुत्री मुश्तकीम जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

43. सरीफा पत्नी नेक मोहम्मद
44. रफीक पुत्र. नेक मोहम्मद
45. सतार पुत्र नेक मोहम्मद
46. हातम अली पुत्र नेक मोहम्मद
47. जाकिन पुत्र नेक मोहम्मद
48. अनवर पुत्र नेक मोहम्मद
49. फैज मोहम्मद पुत्र सुभान
50. यासीन खां पुत्र ....
51. श्योकत अली पुत्र उमरदीन
52. रोशन पुत्र शान मोहम्मद
53. रूसमत पुत्र शान मोहम्मद
54. बशीर पुत्र शान मोहम्मद
55. हुसैन पुत्र शान मोहम्मद

} जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Laxmi
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

56. असलम पुत्र शान मोहम्मद
57. शमशेर पुत्र ज्यान मोहम्मद
58. युनस पुत्र ज्यान मोहम्मद
59. मौसम पुत्र. ज्यान मोहम्मद
60. असगर पुत्र ज्यान मोहम्मद
61. रियासत अली पुत्र ज्यान मोहम्मद
62. सिकन्दर पुत्र ज्यान मोहम्मद
63. शकूरा पुत्री ज्यान मोहम्मद
64. सतारा पुत्री ज्यान मोहम्मद
65. आमना पुत्री ज्यान मोहम्मद
66. सदाम पुत्र गुलाम मोहम्मद
67. हुसैन पुत्र गुलाम मोहम्मद
68. नसरीना पुत्री गुलाम मोहम्मद
69. नूर पुत्री गुलाम मेाहम्मद
70. सलाम पुत्री गुलाम मोहम्मद

} जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

71. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

–असल रेस्पोडेण्ट

72. सलामूदीन
73. असगर
74. श्योकत अली
75. रजाक
76. जुले खां
77. कलीमा
78. शकीना

} पुत्रगण व पुत्रीयान बकसाई पत्नी गुन्नी खां पुत्री मेहरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी नोहर
दिनांक 04.06.2012 प्रकरण संख्या 62 / 2012
बअनवानी नाजरा बनाम अली मोहम्मद

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

श्री विजय सिंह कडवासरा रेस्पो0 सं0 1, 2, 8/1 से 8/7, 7 32, 20, 10, 11, 19, 3,
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 37 38, 40, 45, 50, 51, 49
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 71

(2) अपील संख्या 126/2020
आरसीएमएस नं. 2020/00126

सफीया पुत्री खैरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। — अपीलान्ट

बनाम

1. मुंशी खां
2. यासीन खां
3. मोहम्मद अली
4. हनीफ खां
5. श्योकती अली

(1 से 5) पि0 सदीक खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

6. जैतुन पुत्री सदीक खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सकीना पुत्री इब्राहिम जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. अल्लादीन पुत्र कासम दीन –फौत

8/1 मोहम्मद अली
8/2 श्योकत अली
8/3 हनीफ खां
8/4 यूनुस
8/5 मुश्ताक

(8/1 से 8/5) पि0 अल्लादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदार पुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

8/6 रूबीना पुत्री कुरेसदा पुत्री अल्ला दीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8/7 फारमा पुत्री अल्लादीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

9. इल्मदीन पुत्र कासमदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

10. रोशन खां
11. महबूब खां
12. सतार खां
13. लियाकत खां
14. मुबारिक खां

} पि0 साहबदीन पुत्र कासमदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

15. जैतुन पत्नी स्व0 साहबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

16. जमीला
17. रहिसा
18. भागाबानो

} पुत्रीयान साबदीन पुत्र कासमदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

19. नजीर दीन पुत्र रहमत खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।–फौत

17/1 मुन्नी पत्नी नजीरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

17/2 सलीम
17/3 फिरोज
17/4 समीम

} पि0 नजीरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

20. जबारदीन पुत्र रहमत खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

21. चिरागदीन पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

22. हनीफ खां पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

23. मुक्तारा बेगम पुत्री नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

24. मदीना पुत्री शरीफ पुत्री नेक मोळममद पुत्र रहमत खां जाति मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

25. सदीक पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

26. सदीक पुत्र नूरदीप जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
27. हलीमा पत्नी बली मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
28. नसरीना
29. रसीदा
30. शहनाज
31. रूकसाना
32. सलमा
33. परवीना
34. नसीम

} पुत्रियान व बली मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

35. सदाम पुत्र बली मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
36. बलकीशा पत्नी स्व0 हाकमदीन पुत्र नूरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
37. शमशेर
38. हुसैन
39. सलीम
40. सलमा

} पि0 हाकमदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

41. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

—असल रेस्पोडेण्ट

42. सलामूदीन
43. असगर
44. श्योकत अली
45. रजाक
46. जुले खां
47. कलीमा
48. शकीना

} पुत्रगण व पुत्रीयान बकसाई पत्नी गुन्नी खां पुत्री मेहरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर

— रेस्पोडैन्ट

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी नोहर
दिनांक 09.08.2019 प्रकरण संख्या 155/2001
बआनवानी नाजरा बनाम अली मोहम्मद

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय सिंह कडवासरा रेस्पो0 सं0 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 8/1 से 8/7, 17, 18
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 41

निर्णय दिनांक – 20.02.23

1. उपरोक्त दोनों अपील में वादग्रस्त भूमि एवं पक्षकार एवं तथ्य एक समान होने के कारण दोनों का निर्णय संयुक्त रूप से किया जा रहा हैं। दोनों अपीलों में निर्णय की प्रति अलग–अलग संलग्न की जाये।
2. अपील सफीया बनाम मुन्शीखां अपील संख्या– 125/2020
3. यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा वाद नजरा बनाम अली मोहम्मद वाद संख्या–62/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 34 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–88 एवं 188 के तहत वाद पेश किया, जिसमें खसरा नं. 13 की 32 बीघा भूमि मामदीन पुत्र शमीर की स्वअर्जित भूमि होना व उसके 6 पुत्र कासमदीन, सरफू, इब्राहिम, खेरदीन, नूरदीन व रहमत होना व मामदीन की मृत्यु के पश्चात् भूमि उसके 6 पुत्रों को प्राप्त होना एवं एक पुत्र खेरदीन लाऔलाद फौत होना, खेरदीन द्वारा अपने हिस्सा की भूमि सदीक पुत्र सरफू को वसीयत करने का कथन किया। मामदीन की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से दर्ज करने का कथन किया। वाद में सम्पूर्ण 32 बीघा भूमि का वादीगण ने खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा। उक्त वाद दिनांक 30.01.2003 को अधिनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील नाजरा बनाम अली मोहम्मद अपील संख्या–17/2003 पेश की जो दिनांक 22.11.11 को राजीनामा के आधार पर आंशिक रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकार करके अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिांक 04.06.2012 राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री कर दिया, जिसमें व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील धारा–5 मियाद अधिनियम धारा–96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

4. अपील सफीया बनाम मुन्शी खां अपील संख्या– 126/2020
5. यह अपील न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा वाद अनवानी मुन्शी खां बनाम सकीना वाद संख्या–155/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 6 ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध खसरा नं. 13 की 32 बीघा भूमि बाबत् वाद पेश किया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद सदीक खां बनाम मुस्तकीन आदि वाद सं. 118/1995 प्रस्तुत किया जो डिक्री कर दिया परन्तु उक्त निर्णय व डिक्री की पालना नहीं हुई। पुनः एक वाद सदीकर खां बनाम मुस्तकीन वाद संख्या–294/1995 पेश किया जो दिनांक 30.01.03 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश की जो निर्णय दिनांक 22.07.03 को राजीनामा के अनुसार निर्णय करके वाद रिमाण्ड किया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर 04.08.12 को वाद डिक्री कर दिया जिसमें खसरा नं. 13 की 32 बीघा भूमि में से 29 बीघा भूमि का वादीगण को एवं 3 बीघा भूमि का रूकनदीन के वारिसों को खातेदार घोषित कर दिया परन्तु उक्त निर्णय व डिक्री में पक्षकारों के हिस्से दर्ज नहीं किये। इसलिये वाद में राजीनामा के अनुसार हिस्से दर्ज करने हेतु अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के द्वारा रेस्पोडेन्ट के वाद में चाहे गये अनुतोष के अनुसार वाद डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील धारा–5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की।
6. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने उपस्थित आकर धारा–5 मियाद अधिनियम व धारा–96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्रों का जवाब प्रस्तुत किया उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

Lomp

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए वहस में कथन किया कि मूल वाद मुन्शी खां बनाम सकीन व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2012 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि खसरा नं. 13 की 32 बीघा भूमि मामदीन पुत्र शमीर की निकाली हुई थी व अपीलान्ट के पिता खेतदीन को स्व. मामदीन का पुत्र स्वीकार किया है। वादीगण रेस्पोडेन्ट ने स्व. खेरदीन के कोई वारिस न होने का कथन कर के अपीलान्ट व उसकी बहन को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि अपील में अपील के अपीलान्ट के प्रार्थना–पत्र पर बतौर वारिस खेरदीन पक्षकार बनाया है। इसलिये अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि में बतौर वारिस खेरदीन पुत्र मामदीन वादग्रस्त भूमि में हकदार है। इसलिये अपीलान्ट का अपनी बहन के साथ वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा होने के कारण बतौर प्रभावी पक्षकार अपील प्रस्तुत करने की अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष दोनों अपीलों में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया। इसलिये निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही नकल आदि प्राप्त करके अपील पेश कर दी। अपील जानकारी से अन्दर मियाद है। अधीनस्थ न्यायालय के मसक्ष यह तथ्य साबित था कि स्व. मामदीन के 6 पुत्र थे एवं अपीलान्ट के पिता खेरदीन के दो वारिस थे। अपीलान्टा सफिया एवं .... थे। मूल वाद नाजरा बनाम अली मोहम्मद वाद संख्या–194/95 में अपीलान्ट व उसकी बहन ने पक्षकार बनकर अपना जवाब दावा व काउण्टर क्लेम पेश किया था। उक्त वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.03 द्वारा खारिज किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश जिसके विरूद्ध अपील पेश की गई। उक्त अपील में अपीलान्ट व उसकी बहन बक्साई का प्रार्थना–पत्र पेश करके वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा न लेने का कथन किया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंकित अंगूठो में विशेषज्ञ द्वारा यह स्पष्ट रिर्पोट दी है कि आवेदन पत्र पर अंगूठे अपीलान्ट व उसकी बहन के नहीं है। अपील नाजरा बनाम अली मोहम्मद अपील संख्या–17/2003 में पारित निर्णय दिनांक 22.11.11 में अधीनस्थ न्यायालय को यह स्पष्ट आदेश दिया गया था कि सभी पक्षकारों को सुनकर व राजीनामा पर आपत्ति लेकर पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया व श्रीमान् न्यायालय में राजीनामा होना मानकर दिनांक 04.06.2012 को वाद डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में पुनः वाद मुन्शी खां बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सबीना वाद संख्या–155/2018 पेश किया जिसमें राजीनामा के अनुसार हिस्सा दर्ज करने का अनुतोष चाहा। श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा में वादग्रस्त भूमि के कोई हिस्से दर्ज नहीं थे व न ही अपीलान्ट को पक्षकार बनाया। अधीनस्थ न्यायालय में बिना किसी आधार के वाद डिक्री किया है। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाकर दोनों अपीलों में अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाये विद्वान अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में DNJ-2021 III पेज 842, RBJ 1998 पेज 215, RRT – 2017 पेज – 415, RRD 1997 पेज 287, RRT 2022 पेज 493, RBJ 2018 पेज 42, DNJ-2015 II पेज 592 प्रस्तुत करके अपीले स्वीकार करना के कथन किये।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले मियाद बाहर पेश की है। देरी का कोई उचित आधार अंकित नहीं है। मूल वाद नाजरा बनाम अली मोहम्मद वाद संख्या–194/2095 में अपीलान्टा व उसकी बहन पक्षकार थी व उक्त वाद में अपीलान्ट सफीया ने अपना काउण्टर क्लेम पेश किया था। उक्त वाद व काउण्टर क्लेम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.03 द्वारा खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने कोई अपील पेश नहीं की। कउण्टर क्लेम में पारित निर्णय व डिक्री अन्तिम हो चुकी है। इसलिये यह दोनों अपीले चलने योग्य नहीं है। स्व. खेरदीन ने अपने हिस्सा की भूमि की वसीयत कर दी थी इसलिये अपीलान्टा का वादग्रस्त भूमि में कोई हित नहीं है। अपीलान्टा व उसकी बहन के श्रीमान् न्यायालय में अपील नाजरा बनाम अली मोहम्मद अपील सं. 17/2003 में अपीलान्ट सफीया बहन बक्शाई बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार थी। अपील में उपस्थित आकर अपील स्वीकार करने व वादग्रस्त भूमि में कोई हित न होने का प्रार्थना–पत्र पेश किया था। अपीलान्टा अपनी उक्त स्वीकृति के विरूद्ध कोई कथन नहीं कर सकती अतः अपीलाण्ट की उक्त दोनो अपीलें खारिज की जावें

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया।

10. अपीलान्ट द्वारा दोनों अपीले मियाद बहार दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ–साथ धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद सदीक खां बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

मुस्तकीन वाद संख्या–294/1995 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2003 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने अपील नाजरा बनाम अली मोहम्मद अपील संख्या–17/2003 प्रस्तुत की जो पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार पर रिमाण्ड की गई जो उक्त अपील में अपीलांट सफीया व उसकी मृतक बहन बक्शाई बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया व राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री कर दिया, जबकि अपीलान्टा व उसकी बहन वाद आवश्यक पक्षकार थी। इसलिये अपील अन्दर मियाद मानी जानी है व धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। दोनों अपीलों में मुख्य विवाद खसरा नं. 13 की 32 बीघा भूमि के सम्बन्ध में है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में रूकनदीन व मामदीन पुत्र शमीर के नाम दर्ज थी। मामदीन के वारिसान उक्त 32 बीघा भूमि में रूकनदीन के वारिसान का कोई हक न होने व मामदीन के पुत्र खेरदीन के कोई वारिस न होने के आधार पर स्वयं के नाम घोषणा चाही है, जबकि यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से साबित है कि स्व. खेरदीन पुत्र मामदीन के दो पुत्रियां अपीलान्टा सफीया व बक्शाई थी। इसलिये उक्त दोनों पुत्रियां वादग्रस्त भूमि में हकदार है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नाजरा बनाम अली मोहम्मद अपील संख्या–17/2003 के निर्णय दिनांक 22.11.11 राजीनामा के आधार पर पारित किया गया था व रिमाण्ड आदेश में यह निर्देश दिये गये थे कि "प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि सभी पक्षकारों को राजीनामा पर सुनकर एवं शेष पक्षकारों के ऐतराज के सम्बन्ध में सुनवाई कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करे।" परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.06.2012 को निर्णय व डिक्री पारित करते समय इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.07.03 को आधार मानकर निर्णय व डिक्री पारित की है, जबकि रिमाण्ड आदेश पर राजीनामा एवं वाद के अन्य पक्षकारेां को सुना जाना आवश्यक था। इसलिये उक्त निर्णय व डिक्री विधि सम्मत् नहीं माना जा सकता व अपील स्वीकार योग्य है। इसकी अपील सफीया बनाम मुन्शी खां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय व डिक्री में पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2012 में पक्षकारों के हिस्से दर्ज न होने के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित करके हिस्से घोषित किये है। निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2012

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निरस्त होने से यह डिक्री दिनांक 04.06.2012 निरस्त होने से यह डिक्री स्वतः ही निरस्त योग्य बनता है। इस प्रकार अपील स्वीकार योग्य बनती है व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य बनती है।

11. उपरोक्त विवेचन के अनुसार दोनों अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2012 एवं दिनांक 09.08.2012 निरस्त की जाकर पत्रावली विचरण न्यायालय को इस निर्देश के रिमाण्ड की जाती है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अपील नाजरां बनाम अली मोहम्मद अपील संख्या–17/2003 में निर्णय दिनांक 22.11.11 के निर्देशों के अनुसार पुनः एवं समी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.02.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(करतार सिंह पूनियाँ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner